न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 63/2020

1. ताहिर
2. अब्दुला
3. हारिस } पिसरान जमान खां
4. हासिम
5. फजरी पुत्री जमान खां जाति मेव निवासी ग्राम घाटमीका तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. इकबाल पुत्र चाहत
3. खुर्शीद
4. जमशेद पिसरान गुलाम मौहम्मद
5. तैय्यव पुत्र चाहत
6. बिलाल पुत्र शेरमौहम्मद नाबालिग संरक्षक माता खुद हमीदी पत्नि शेर मौहम्मद
7. मुबारिक पुत्र शेरमौहम्मद
8. महमूदी पत्नि गुलाम मौहम्मद
9. रूकसीद पुत्र गुलाम मौहम्मद
10. शरीफ पुत्र शेरमौहम्मद
11. सद्दाम पुत्र शेरमौहम्मद
12. सरजीना पुत्र गुलाम मौहम्मद नाबालिग संरक्षक माता खुद महमूदी स्वयं
13. सरपुल्ला पुत्र शेरमौहम्मद
14. साबिर पुत्र शेरमौहम्मद नाबालिग संरक्षक माता खुद हमीदी पत्नि शेरमौहम्मद
15. हमीदी पत्नि शेरमौहम्मद
16. हाकम पुत्र गुलाम मौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम घाटमीका तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एल0आर0 एक्ट

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थीगण
2. श्री प्रहलाद सिंह वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :–20/12/2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि मुकदमा से संबन्धित अप्रार्थीगण संख्या 6,12,14 नाबालिग है जो अपनी माता के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रहे है तथा प्रार्थीगण के पिता जमान खां फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण है। साविक आराजी खसरा नम्बर 816 मिन बांके ग्राम घाटमीका तहसील पहाडी में स्थित है जिसके भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 733/1070/0.06, 733/0.11, बनाये गये है आराजी खसरा नम्बर 816 मिन में 0.06 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के पिता जमान खां व बागदल ने सन् 1999 को रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की थी एवं अपने जीवन काल तक प्रार्थीगण पिता उक्त खसरा नम्बर 816/1/0.06 हैक्टर पर रास्ते के पास वतरफ पश्चिम में काबिज रहकर काश्त करता रहा तथा पिता प्रार्थीगण फौत होने के बाद प्रार्थीगण आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर 816 मिन में वतरफ पूरब में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थीगण आज भी काबिज काश्त है । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 816 मिन के नये नम्बर बनाते हुये जो नजरी नक्शा में नया नम्बर का बनाया गया है व नक्शा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 16 के मौके पर कब्जे के विपरीत बनाया गया है जो कि कतई गलत व खिलाफ मौका व कब्जा है जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी हो रही है विधि वजह प्रार्थीगण दावीदार एवं खसरा नम्बर 816 मिन के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नये नम्बरान बनाकर जो नजरी नक्शा बनाया गया है उसे प्रार्थीगण मौका व कब्जा के आधार पर दुरूत करा पाने के अधिकारी है। नया नम्बरान को नजरी नक्शा में गलत दर्शाया गया है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण जबरदस्ती नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से नये गलत नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिनकी बाबत अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 13/12/2020 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से संभव ना हो सकेगी । विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि हाल नये खसरा नम्बर 733/0.11, 733/1070/0.06 हैक्टर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

फरमाया जाकर खसरा नम्बर 733/1070/0.06, 733/0.11 हैक्टर के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये खसरा को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मौका व कब्जा के आधार पर दुरूस्त फरमाया जाकर नजरी नक्शा में संशोधन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 16 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार ने जबाब/मौका रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 733/1070/0.06 साविक खसरा नम्बर 816 मिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण ताहिर वगैराह के पिता जमाल पुत्र बागदल मेव निवासी घाटमीका तथा खसरा नम्बर 733/0.11 अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 16 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है हाल मौके पर प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 733/1070 रास्ते के पास वतरफ पश्चिम दिशा में स्थित है व काबिज है तथा अप्राथीगण संख्या 2 लगायत 16 का खसरा नम्बर 733/0.11 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 733/1070 के पूरब में स्थित है सैटलमेन्ट विभाग द्वारा मौका व कब्जानुसार तरमीम नहीं की गई है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 816 मिन के नये नम्बर बनाते समय नजरी नक्शा में नये कब्जा मौके विपरीत बनाया गया है। जिसे मौका व कब्जानुसार सही किया जाना उचित है। निवेदन है कि खसरा नम्बर 733/1070/0.06 व 733/0.11 हैक्टर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नक्शा को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मौका व कब्जानुसार शुद्ध किया जाना उचित होगा।

दिनांक 02/11/2021 को अप्रार्थीगण ने जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है कि दिनांक 29/07/2021 को पटवारी हल्का ने बिना अप्रार्थीगण तैय्यव वगैराह को सूचित किये नजरी नक्शा बनाया है जबकि तैय्यब वगैराह को सूचित करना कानूनन आवश्यक था उक्त जाँच एक तरफा की गई है जो कि गलत है ऐसी स्थिति में जाँच रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः मंगवाई जावें।

प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पहाडी से पुनः दोनो पक्षों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पहाडी की मौका रिपोर्ट दिनांक 30/11/2021 के मुताबिक ग्राम घाटमीका के खसरा नम्बर 733, 733/1070 के संबन्ध में मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है । खसरा नम्बर 733 रकबा 0.11 हैक्टर इकबाल तैय्यब पिसरान चाहत हिस्सा 1/2 , खुर्शीद , तैय्यब , रूकसीद, हाकम, पिसरान गुलाम मौहम्मद , महमूदी पत्नी गुलाम मौहम्मद, मुबारिक, शरीफ, सद्दाम, बिलाल, सरपुल्ला, सरजीना, पिसरान शेरमौहम्मद, हमीदी पत्नि शेरमौहम्मद के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 733/1070/0.06 हैक्टर जमान खां

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र बागदल हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान का मौका देखा गया । उक्त दोनो नम्बरो के पश्चिमी दिशा में रास्ता है और खसरा नम्बरो के दिशा पूरब, उत्तर, व दक्षिण में पुख्ता पक्के मकान बने हुये है । खसरा नम्बरान 733 व 733/1070 के मौके पर कीकर , कूडी, पत्थर पडे हुये है मौके पर कोई काश्त नहीं है एवं दोनो पक्ष पश्चिम दिशा में बने रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। पक्षकारो ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 16 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 733/0.11 पर काफी अरसे से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा कायम तरमीम अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर इस अनुसार कब्जा व काश्त है पूर्व में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बुजुर्गान अपनी-अपनी आराजी पर रिकॉर्ड में कायम तरमीम अनुसार काबिज काश्त करते रहे है और उनकी फौती के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी आराजी पर काबिज काश्त है इस प्रकार अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 733/0.11 पर अपने बुजुर्गान के समय से ही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकॉर्ड में की गई कायम तरमीम अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है और भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजी की रिकॉर्ड में मौका कब्जा अनुसार ही तरमीम कायम की गई है जो मौका व कब्जानुसार बिल्कुल सही है। अप्रार्थीगण की आराजी से प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को मुताबिक कानून किसी प्रकार से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। जबकि अप्रार्थीगण की उक्त आराजी में अप्रार्थीगण कुछ हिस्से को गैतवाडिया के रूप में उपयोग कर रहे है। जिसमें वर्तमान में अप्रार्थीगण का खाद, कूडा, ईधन, उपला, आदि पडे हुये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है और विवादित आराजी की तरमीम भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मौका व कब्जानुसार पूरी तरह मौका मुआयना व जाँच परताल कर रिकॉर्ड में कायम की गई है।

बहस वकील फरीकने सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया एवं वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

हमने बहस उभय पक्षकारान का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128, 136 के अन्तर्गत नक्शा शुद्धि का है। आराजी खसरा संख्या 733/1070/0.06 प्रार्थीगण की एवं 733/0.11 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। दोनो ही खसरा साविक खसरा संख्या 816 मिन से निर्मित है। भू प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व खसरा संख्या 816 मिन में कोई तरमीम नहीं थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके अनुसार सडक से लगते हुये दोनो ही नवीन खसरा संख्या की तरमीम की गई है । दिनांक 29/07/2021 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट केवल पटवारी द्वारा तैयार की गई है। जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है। पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट में केवल दो ट्राली पत्थर एवं रोडी के आधार पर ही कब्जा बताया है। जो संदेह को प्रकट करता है। दिनांक 27/11/2021 को तहसीलदार पहाडी ने स्वयं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उक्त दोनो खसरा के पश्चिमी दिशा में रास्ता है एवं पूर्व, उत्तर, दक्षिण में पुख्ता मकान बने हुऐ है। मौके पर कोई काश्त नहीं है। दोनो ही पश्चिमी दिशा में बने रास्ते का उपयोग कर रहे है। मौका रिपोर्ट से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों खसरा संख्या सडक से लगते हुए है एवं उसी प्रकार बंदोबस्त विभाग द्वारा निर्मित किये गये है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन भी किया है कि प्रार्थीगण के पिता ने 1999 में यह भूमि बयनामा से खरीद की थी एवं अपने जीवन काल में प्रार्थीगण रास्ते के पश्चिम में काबिज रहकर काश्त कर रहा था। इस संबंध में भी बयनामा का अवलोकन किया परन्तु बयनामा में भी सडक के साथ दिशा का कोई उल्लेख नहीं है। अतः प्रार्थी का कथन प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बंदोबस्त विभाग द्वारा मौके अनुसार सही तरमीम कर नवीन खसरा कायम किये है। जिसमें शुद्धि किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट0 खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner